न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण कमांक अपील 368–दो/02 विरूद्ध आदेश दिनांक 05–03–01 पारित द्वारा अपर कलेक्टर अशोकनगर जिला प्रकरण कमांक 27 /अपील/00–01.

———

म.प्र. राज्य द्वारा
उप–पंजीयक सतना जिला सतना ——— अपीलांट

विरूद्ध

1– चन्द्रपाल सुखरामानी पिता श्री छांगोमल
निवासी सिंधी कैम्प, सतना तहसील रघुराजनगर
जिला सतना म.प्र. ।
2– आशा सुखरामानी पत्नी चन्द्रपाल सुखरामानी
निवासी सिन्धी कैम्प, सतना तहसील रघुराजनगर
जिला – सतना म.प्र. ——— रिस्पोंडेंट्स

———

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री वी.एन. त्यागी ।

———

:: आदेश ::
(आज दिनांक 11-09-14 को पारित)

———

यह अपील आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 72/अपील/2000–01 मेंपारित आदेश दिनांक 5–43–2001 के विरूद्ध भारतीय स्टाम्प एक्ट की धारा 47(4) के तहत पेश की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हे कि जिला पंजीयक एवं कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के द्वारा प्रकरण कमांक 207/बी–105/93–94 में पारित आदेश दिनांक 3–8–94 के विरूद्ध प्रत्यर्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपील पेश की जो आयुक्त नेआलोच्य आदेश द्वारा स्वीकार की एवं कलेक्टर ऑफ स्टॉम्प का आदेश निरस्त किया । आयुक्त के इस आदेश के विरूद्ध शासन की ओर से यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3– अपीलांट शासन की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रकरण का निराकरण अभिलेख के आधार पर किए जाने का अनुरोध किया गया है ।

4– प्रत्यर्थीगण एकपक्षीय हैं ।

5– अपीलांट अधिवक्ता के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया । यह प्रकरण भूमि के मूल्यांकन के संबंध में है । आयुक्त ने इस आधार पर कलेक्टर के आदेश को निरस्त किया है कि नक्शे में यह भूखंड सतना रीवा रोड से कॉफी दूर अंदरूनी क्षेत्र में है उक्त आधार पर उन्होंने उत्तरवादियों द्वारा प्रश्नाधीन भूमि को कृषि भूमि मानकर स्टाम्प शुल्क अदा करना उचित मानते है । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए उनका आदेश उचित प्रतीत नहीं होता है क्योंकि अपीलार्थी की ओर से आसपास की भूमि के विक्रयों के आधार पर प्रश्नाधीन भूमि को कृषि भूमि मान्य नही किया जा सकता । प्रश्नाधीन भूमि आवासीय होकर प्रश्नाधीन भूमि सतना नगर में भरहुतनगर कालोनी जो पूर्णतया है में स्थित है । भूमि कृषि प्रयोजन के लिए क्रय की गई ऐसा कोई उल्लेख विक्रयपत्र में नहीं है । प्रकरण में समस्त स्थिति के अवलोकन करने के उपरांत में यह पाया जाता है कि कलेक्टर द्वारा प्रश्नाधीन भूमि को आवासीय मानकर स्वीकृत गाइड लाइन के आधार पर मूल्यांकन किया जाकर जो स्टाम्प डयूटी निर्धारित की गई है, वह उचित है और उनके आदेश को निरस्त करने में आयुक्त द्वारा न्यायिक त्रुटि की गई है । परिणामतः कलेक्टर ऑफ स्टाम्प का आदेश विधिसम्मत उचित और न्यायिक होने से उसकी पुष्टि की जाती है और आयुक्त का आदेश मुखर आदेश न होने के कारण अपास्त किया जाता है । निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(एम. के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर